न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—15 / 2023 (2023 / 188) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—सचिन किराड़ पुत्र महेन्द्रसिंह खटीक निवासी रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—पंचायत समिति रायपुर (विकास अधिकारी रायपुर) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. स्वयं प्रार्थी —

निर्णय

दिनांक—20.06.2023

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम केमुनिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जेकाश्त की आराजी संख्या 1706 रकबा 1.08 है0 भूमि खाता संख्या 41 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थी सदैव से अपनी उक्त वर्णित आराजी में आवागमन, पैदल, संज, बैल, बैलगाड़ी आदि से आराजी संख्या 1729 रकबा 2.58 है0 गै.मु. सड़क से होते हुए आराजी संख्या 1728 रकबा 0.51 है0, आराजी संख्या 1727 रकबा 30.43 है0 विपक्षी की आराजियात मे होकर आवागमन करता है लेकिन रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ा है। प्रार्थी की नवीन आराजी संख्या 1706 में आवागमन करने का एक मात्र रास्ता विपक्षी आराजी संख्या 1728 व 1727 मे से ही है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के आवागमन करने का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी नियमानुसार डीएलसी दर अदा करने को तैयार है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी की नवीन आराजी संख्या 1727 व 1728 में रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराये जाने हेतु तहसीलदार रायपुर को आदेशित फरमाया जावे एवं रास्ते में समायोजित होने होने वाला रकबा की डीएलसी दर से राशि विपक्षी को दिलाया जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल [illegible] की गई।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रि[illegible] जिसमें तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया कि आराजी संख्या 1727 व आराजी संख्या 1728 में कोई रास्ता बना हुआ नही है। मौके पर प्रस्तावित रास्ते के [illegible] की भूमियां है जिनसे [illegible] साधन नही निकल सकते है, मौके पर अन्य कोई रास्ता न[illegible] है। वर्तमान में उक्त आराजी विभिन्न खातेदारान से मांग कर जाया जा रहा है। आराजी संख्या 1728 रकबा 0.51 है0 किस्म

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.06.30 17:34:53 IST
Reason: SelfAttested

भू.भा. में से रकबा 0.0120 है0 तथा आराजी संख्या 1727 रकबा 30.43 है0 किस्म भू.भा. मे से रकबा 0.20 है0 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.21 है0 रकबा बनता है जिसकी डीएलसी दर 297276/— प्रति है0 है। सलंग्न नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से तथा वर्तमान में रास्ते को बल्यू स्याही दे दर्शाया गया है। मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका देखा गया है।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा प्रार्थी की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन करने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है प्रार्थी वर्तमान में इसी रास्ते से आवागमन कर रहे है। प्रार्थी रास्ते के उपयोग हेतु ली जा रही भूमि की नियमानुसार भूमि कीमत देने को भी तैयार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की मूल मंशा यही है जहां प्रार्थी कई वर्षो से आवागमन कर रहे है और अन्य कोई विकल्प नही हो तो ऐसे रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा सकते है। प्रार्थी की खातेदारी काफी पुरानी है जिससे वर्षो से इसो जगह से होकर आवागमन करने से व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विपक्षी की ओर से भी कोई आपत्ति नही होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम केमुनिया तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 1706 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 1728 रकबा 0.51 है0 मे से रकबा 0.0120 है0 भूमि (यानि 120 वर्गमीटर भूमि) व आराजी संख्या 1727 रकबा 30.43 है0 मे से रकबा 0.20 है0 (यानि 2000 वर्गमीटर भूमि) कुल किता 2 कुल रकबा 0.2120 है0 जिसको डीएलसी दर 297276/—रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 63022/—रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 126045/—रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका विपक्षी खातेदार को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.06.30 17:34:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—15/2023 (2023/188) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—सचिन किराड़ पुत्र महेन्द्रसिंह खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा — प्रार्थी

बनाम

1—पंचायत समिति रायपुर (विकास अधिकारी रायपुर) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा — विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम केमुनिया तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 1706 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 1728 रकबा 0.51 है0 मे से रकबा 0.0120 है0 भूमि (यानि 120 वर्गमीटर भूमि) व आराजी संख्या 1727 रकबा 30.43 है0 मे से रकबा 0.20 है0 (यानि 2000 वर्गमीटर भूमि) कुल किता 2 कुल रकबा 0.2120 है0 जिसकी डीएलसी दर 297276/—रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 63022/—रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 126045/—रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका विपक्षी खातेदार को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 20.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(नेहा छीपा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.06.30 17:34:53 IST
Reason: SelfAttested